न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ललित मीणा (आर० ए०एस०)

प्रकरण संख्या–07 / 2022

1–दुर्गाप्रसाद पुत्र कैलाशी, जाति ब्राह्मण निवासी राजा का नगला 2–दिनेशचन्द पुत्र शिवचरन जाति ब्राह्मण निवासी राजा का नगला हाल निवासी बसई नबाब तहसील 3–राजेन्द्र पुत्र कैलाशी जाति ब्राह्मण निवासी राजा का नगला 4–संजय पुत्र कैलाशी जाति ब्राह्मण निवासी राजा का नगला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर।

.................प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

............अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल.आर.एक्ट
वास्ते दुरूस्ती नक्शा

उपस्थिति– 1–श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट– प्रार्थीगण

निर्णय **दिनांक: 24.02.2022**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू० राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 30 वाकेग्राम राजा का नगला के प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। खसरा नम्बर 30 में से भारत सरकार के भूतल परिवहन एवं राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–123(ऊँचा का नगला–धौलपुर) कुछ भू०–भाग में से अवाप्ति के पश्चात निकला था जिसका खसरा नम्बर 288 / 30 रकवा 0.4152 हैक्टेयर वाकेग्राम राजा का नगला है तथा मूल खसरा नम्बर 30 की उत्तरी दिशा में खसरा नम्बर 30 में से प्रार्थीगण की खातेदारी का 0.0200 हैक्टेयर क्षेत्रफल शेष बचा था जिसका खसरा नम्बर 287 / 30 वाकेग्राम राजा का नगला है तथा मूल खसरा नम्बर 30 में से अवाप्ति के पश्चात् मूल खसरा नम्बर की दक्षिणी दिशा में प्रार्थीगण की खातेदारी का क्षेत्रफल 0.0200 हैक्टेयर शेष बचा था जिसका खसरा नम्बर 289 / 30 वाकेग्राम राजा का नगला हैक्टेयर तथा जिसका नामान्तकरण संख्या 431 वाकेग्राम राजा का नगला है। नामान्तकरण संख्या 431 वाकेग्राम राजा का नगला मुताबिक एल.ए.पी. दिनांक 19.03.2020 को मय तरमीम स्वीकृत कराकर कम्प्यूटर शाखा में उक्त नामान्तकरण को स्कैन कर लॉक कराया गया था तथा उपरोक्तानुसार मूल खसरा नम्बर 30 तीन भागों में विभाजित हो गया था तथा मुताबिक एल.ए.पी. उक्त तीनों खसरा नम्बरान की सही तरमीम की गई थी तथा जिसकी प्रार्थीगण ने दिनांक 14.08.2020 को ई–मित्र से तरमीम की नकल प्राप्त कर ली थी। प्रार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 287 / 30 तथा 289 / 30 वाकेग्राम राजा का नगला पर मुताबिक एल.ए.पी. नक्शा के काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 287 / 30 जो कि मूल खसरा नम्बर 30 की उत्तरी दिशा में स्थित है को वर्तमान नक्शे में तरमीम

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

गई है। प्रार्थीगण को नक्शे में हुई उक्त त्रुटि की जानकारी अर्सा करीब 01 माह पूर्व हल्का पटवारी से नक्शा ट्रेस की नकल लेने पर प्रथमवार हुई तब प्रार्थीगण ने नक्शा दुरूस्ती हेतु दिनांक 04.02.2022 को श्रीमान के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था लेकिन तहसीलदार सैपऊ ने आज तक मूल खसरा नम्बर 30 वाकेग्राम राजा का नगला के विभाजित भू0—भागों की तरमीम को दुरूस्त नहीं किया है। उपरोक्त परिस्थिति में प्रार्थीगण के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे मूल खसरा नम्बर 30 वाकेग्राम राजा का नगला की उत्तरी दिशा में स्थित खसरा नम्बर 287/30 वाकेग्राम राजा का नगला की तरमीम में हुई त्रुटि को मुताबिक एल.ए.पी. एवं मुताबिक नामान्तकरण संख्या 431 वाकेग्राम राजा का नगला स्वीकृत दिनांक 19.03.2020 के आधार पर नक्शा में की गई स्कैनिंग के मुताबिक नक्शा तरमीम को दुरूस्त करा पाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मूल खसरा नम्बर 30 की उत्तरी दिशा में स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 287/30 के नक्शे की तरमीम को मुताबिक नक्शा एल.ए.पी. एवं मुताबिक नामान्तकरण संख्या 431 वाकेग्राम राजा का नगला स्वीकृत दिनांक 20.03.2020 के आधार पर कम्प्यूटर शाखा में की गई तरमीम स्कैन के दुरूस्त की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार सैपऊ उपस्थित। प्रकरण एल.आर.एक्ट से सम्बन्धित है। चूँकि दिनांक 07.02.2022 को उक्त तरमीम बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त हो चुकी है जिसको पत्रावली के रिकॉर्ड पर लिया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय नक्शा तरमीम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत रिपोर्ट एवं प्रस्तुत नक्शा में भी यह स्पष्ट अंकित किया गया है। कि वर्तमान तरमीम एल.ए.पी अनुसार नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि एल.ए.पी. एवं वर्तमान नक्शे में अन्तर है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि तहसीलदार सैपऊ मूल खसरा नम्बर 30 वाकेग्राम राजा का नगला तहसील सैपऊ के विभाजित खसरा नम्बर 287/30, 288/30, 289/30 की वर्तमान तरमीम को निरस्त किया जाकर मुताबिक एल.ए.पी. खसरा नम्बर 30 वाकेग्राम राजा का नगला तहसील सैपऊ के विभाजित खसरा नम्बरों की तरमीम को नक्शा शीट एवं ऑनलाइन नक्शे में दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार सैपऊ को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ललित मीना)
उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ